बिहार सरकार
गृह विभाग

अधिसूचना

संख्या 3296 दिनांक 19-6-15 कारा अधिनियम, 1894 की धारा 59 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कारा सेवा के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।–** (i) यह नियमावली काराधीक्षक के विभिन्न पद सोपानों पर कार्यरत पदाधिकारियों के सेवा विनियंत्रण हेतु "बिहार कारा सेवा नियमावली, 2014" कही जा सकेगी।

   (ii) इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा।

   (iii) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएं।–** जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में

   (i) "राज्य" से अभिप्रेत है बिहार राज्य;

   (ii) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

   (iii) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

   (iv) "सेवा" से अभिप्रेत है, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–1174 दिनांक 24.01.1989 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग (कार्य–सीमन) विनियमावली, 1957 के परिशिष्ट–'ख' के अधीन विहित "बिहार कारा सेवा";

   (v) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है बिहार का राज्यपाल;

   (vi) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार;

   (vii) "सीधी भर्ती" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति;

   (viii) "प्रोन्नति से नियुक्ति" से अभिप्रेत है उपाधीक्षक संवर्ग से वरीयता सह मेधा के आधार पर प्रोन्नति के द्वारा नियुक्ति;

   (ix) "विभाग" से अभिप्रेत है गृह विभाग, बिहार;

   (x) "कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय" से अभिप्रेत है महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार का कार्यालय;

   (xi) "परीक्षा" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली विभिन्न राज्य सेवाओं हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा;

   (xii) "कारा हस्तक" से अभिप्रेत है बिहार कारा हस्तक, 2012।

3. **सेवा का गठन।–** (i) बिहार कारा सेवा में निम्नलिखित पद होंगे:–

   (क) **बेसिक ग्रेड**–मूल कोटि–वेतनमान (जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय)

   (ख) **कनिष्ठ ग्रेड**–प्रोन्नति का प्रथम स्तर–वेतनमान (जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय)।

   (ग) **वरिष्ठ ग्रेड**–प्रोन्नति का द्वितीय स्तर–वेतनमान (जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय)।

(घ) **उच्चतर ग्रेड**–प्रोन्नति का तृतीय स्तर–उप महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ–वेतनमान (जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय)।

(ड.) उक्त पदों का ग्रेड वही होगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा।

(ii) राज्य अवस्थित सभी काराओं एवं कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सृजित, स्वीकृत एवं अधिसूचित कारा अधीक्षक एवं सदृश्य कोटि के पद इस सेवा के अंग होंगे।

(iii) **"बिहार कारा सेवा"** में भर्ती कारा अधीक्षक के रूप में की जायेगी। राज्य सरकार सेवा के किसी ग्रेड के पदाधिकारी को राज्य अवस्थित किसी भी कारा में समान रूप से पदस्थापित कर सकेगी एवं उन्हें अपने द्वारा धारित ग्रेड का वेतनमान देय होगा।

(iv) सरकार, समय–समय पर, अन्य किसी दायित्व को प्रतिनियुक्त/समनुदेशित करने हेतु, अथवा जैसा कि सरकार का प्रयोजन हो, आदेशित/अधिसूचित कर सकेगी।

(v) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से उक्त कोटियों में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस सेवा में शामिल समझे जायेंगे।

(vi) सेवा के सदस्यों पर परिचालनात्मक नियंत्रण महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार का होगा।

(vii) सेवा के विभिन्न पद सोपानों पर कार्यरत सदस्यों द्वारा बिहार कारा हस्तक, 2012 में विहित कर्तव्य और दायित्वों तथा प्रावधानों का अनुपालन किया जाना बाध्यकारी होगा।

4. **भर्ती का स्रोत।– (क) सीधी भर्ती।–** (i) बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

(ii) सरकार द्वारा प्रेषित इस सेवा की रिक्तियों के लिये आयोग, प्रतिवर्ष आयोजित की जानेवाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन में उसे शामिल करेगा।

(iii) आयोग अपनी विहित रीति एवं प्रक्रिया द्वारा आयोजित विभिन्न सेवाओं के लिए आयोजित की जानेवाली परीक्षा के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची विभाग को प्रेषित करेगा।

(iv) **आयुः**–सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाये और आयोग द्वारा उसे अपने विज्ञापन में विज्ञापित किया जायेगा।

(v) **शैक्षणिक योग्यता**।–किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष।

(vi) सेवा में चयन हेतु उम्मीदवारों को आयोग द्वारा उपबंधित मानदंडों को पूरा किया जाना तथा आयोग को संतुष्ट करना अनिवार्य होगा।

(ख) प्रोन्नति द्वारा भर्ती।– (i) प्रोन्नति के आधार पर भर्ती हेतु कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय की प्रोन्नतियों हेतु महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति, राज्य की काराओं में उपाधीक्षक संवर्ग से कार्यरत उपाधीक्षकों के मध्य से उनके सेवा इतिहास, वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति, वरीयता एवं मेधा सूची के आधार पर एक अनुशंसा सूची तैयार करेगी।

(ii) उक्त अनुशंसा सूची को आयोग को प्रेषित किया जायेगा

(iii) आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार वास्तविक उपलब्ध रिक्तियों को प्रोन्नति के आधार पर भर्ती से भरने हेतु अधिसूचित करेगी।

(iv) प्रोन्नति द्वारा भर्ती का प्रतिशत सेवा के कुल स्वीकृत एवं सृजित पदबल का 25 प्रतिशत होगा।

5. **आरक्षण।**– बिहार राज्य में प्रवृत बिहार आरक्षण अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

6. **परिवीक्षा एवं अवधि।**– सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति से भर्ती प्रत्येक कार्मिक को सेवा के प्रारंभ में परिवीक्षाधीन नियुक्त किया जायेगा। परिवीक्षा की अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी।

7. **प्रशिक्षण/विभागीय परीक्षा।**–

(i) परिवीक्षा के दौरान, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण लेने या ऐसी विभागीय परीक्षा में उतीर्ण होने की अपेक्षा की जायेगी जो संवर्ग नियंत्री प्राधिकार/राजस्व पर्षद द्वारा समय समय पर विहित की जाये।

(ii) सेवा के सदस्यों की सेवा संपुष्टि एवं आगे की प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा यदि विभाग द्वारा विहित किसी कारा या प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान या अन्य संस्थान में आयोजित अनिवार्य प्रशिक्षण प्रोग्राम में सम्मिलित नहीं होंगे अथवा विभागीय परीक्षा में उतीर्ण नहीं होंगे।

(iii) परंतु किसी कारण से ऐसे प्रशिक्षण/परीक्षा का आयोजन संभव नहीं हो तो संवर्ग नियंत्री प्राधिकार इस अपेक्षा को शिथिल कर सकेंगे।

8. **प्रोन्नति।**– (i) सेवा के विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति राज्य सरकार द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी।

(ii) ऐसी प्रोन्नतियों हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा, अर्थात "कालावधि" वही होगी जो राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से गृह विभाग द्वारा समय–समय पर विनिश्चित की जाये।

9. **वरीयता।**– (i) सीधी भर्ती से नियुक्त सेवा के सदस्यों की पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग की मेधा सूची के क्रम में अवधारित की जायेगी।

(ii) सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति से नियुक्त कार्मिकों के मध्य आपसी वरीयता का अवधारण सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

10. **अनुशासनिक कार्रवाई।**– बिहार सरकार सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित/जारी किये जाने वाले प्रावधान सेवा के सदस्यों हेतु बाध्यकारी होंगे।

11. **अवशिष्ट मामले।**– इस नियमावली या इसके अधीन किये गये जारी आदेशों या विशेष आदेशों या विशेष आदेशों से विशिष्टतः अनाच्छादित मामलों के संबंध में, सेवा के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के कार्मिकों के संबंध में लागू विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

12. **कठिनाईयों का निराकरण।**– इस नियमावली के कार्यान्वयन में होने वाली कठिनाईयों के निराकरण के लिये समय समय पर सरकार अधिसूचना द्वारा यथाआवश्यक ऐसे सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकेगी जो अधिनियम एवं इस नियमावली के प्रावधानों से संगत हों।